UPMO010009552026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच 0 जे0 एस 0)

J.O. Code-UP 1895

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–376/2026

मदन पाल आयु करीब 31 वर्ष पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम लाकड़ी फाजलपुर, मझोला, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-90/2026
धारा-109(1) भारतीय न्याय संहिता।
थाना-मझोला, जिला-मुरादाबाद।

06.03.2026

1- अग्रिम जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' उपस्थित।

2- प्रार्थी/अभियुक्त मदन पाल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 90/2026, धारा-109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना-मझोला, जिला मुरादाबाद के संबंध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3- सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4- पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादिनी मुकदमा पायल शर्मा द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 27.01.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, दिनांक 25.01.2026 को समय करीब 06:30 बजे शाम को प्रार्थिनी के पति सतवीर सिंह शर्मा अपनी ड्यूटी से घर आ रहे थो तो रास्ते में ही मदन पाल पुत्र नामालूम, निवासी सब्जी मण्डी के पीछे लाइनपार एम०डी०ए के पीछे मुरादाबाद ने जानलेवा हमला कर दिया। इनके साथ 2-3 आदमी और थे, जो अज्ञात हैं। प्रार्थिनी के पति के सिर की हड्डी टूट गयी है। सिटी स्कैन कराया था, वह बेहोश अवस्था में हैं। उनका इलाज फोटोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन पर जानलेवा हमला

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.06 17:51:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुआ है, उनके हाथ-पैर में गुम चोटें आयी है। प्रार्थिनी के पति को उठाकर प्रार्थिनी के पति का ही एक साथी मुनेश कुमार घर लेकर आया, उसने सारी बात बतायी। प्रार्थिनी बहुत परेशान हो गयी है, प्रार्थिनी के पति पर जानलेवा हमला उक्त व्यक्तियों ने अकारण ही कर दिया है, जबकि प्रार्थिनी की उनसे कोई रंजिश नही है। मदनपाल शराब की हालत में था। उक्त मदन पाल ने ऐसी चोट मारी है कि, प्रार्थिनी के पति के सिर की हड्डी टूट गयी है। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्त मदनपाल व दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा-109(1) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

5- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गए हैं कि, प्रार्थी की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है और कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र अथवा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, किसी भी माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज या सत्र न्यायालय मे लम्बित नहीं हैं और न ही खण्डित हुआ है, प्रार्थी पर लगाये गये आरोप पूर्ण रूप से मिथ्या हैं, प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, घटना दिनांक 25.01.2026 शाम 06:30 बजे की दर्शायी है, जबकि रविवार मे समस्त फैक्ट्रियां बन्द रहती हैं, ड्यूटी से आने वाला कथन भी मिथ्या है, घटना में स्पष्ट उल्लेख यह भी नहीं है कि, सिर पर किस चीज से हमला हुआ है, जबकि सत्यता यह है कि, लोगों की जानकारी अनुसार प्रार्थी को ज्ञात हुआ है, कि सतवीर शर्मा ने बहुत अधिक शराब पी रखी थी और वह रास्ते में कहीं गिर गया था, लेकिन मुनेश कुमार ने प्रार्थी को झूठा मुकदमे में फंसाने के लिये प्रार्थी का नाम लिखाया है, प्रार्थी को जिस पते का निवासी दर्शाया है, उस स्थान पर प्रार्थी निवास नहीं करता है और न ही उस स्थान पर प्रार्थी कथित घटना पर मौजूद था और तहरीर में भी घटना का स्पष्ट पते का भी कोई उल्लेख नहीं है, घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, घटना की तहरीर विलम्ब से देने का कोई स्पष्ट कारण भी उल्लेख नहीं किया है, प्रार्थी वाहन चालक है और सतवीर शर्मा बेहोश अवस्था में है तो प्रार्थी का नाम किसके द्वारा उजागर किया गया, कोई उल्लेख नहीं है, हल्का थाना पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करके प्रार्थी की छवि धूमिल करना चाहती है, जबकि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर गिरफ्तारी की आशंका दर्शाते हुए अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना

पत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया गया है कि, अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति को जान से मारने की नीयत से उसे साथ मारपीटकर करके चोटें पहुॅचाई हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त अग्रिम जमानत पाने योग्य नहीं है।

7– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य ए.आई.आर. ऑन लाइन 2020 एस. सी. पृष्ठ 74 में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषिसिद्ध आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा–34 व धारा–149 भा0 दं0 संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि, प्रश्नगत घटना दिनांक 25–01–2026 की है, जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 27–01–2026 को प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य दो से तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध इस आशय की दर्ज करायी गयी थी कि, दिनांक 25–01–2026 को समय करीब 06.30 बजे शाम वादिनी के पति सतवीर सिंह अपनी ड्यूटी से घर आ रहे थे, रास्ते में प्रार्थी/अभियुक्त ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पति के सिर की हड्डी टूट गयी, अर्थात वादिनी घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रश्नगत घटना के मजरूब ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में प्रार्थी/अभियुक्त को घटना कारित करने वाले के रूप में नामित नहीं किया है, बल्कि मजरूब ने अपने बयान में स्वयं को शराब पीकर गाड़ी चलाकर घर जाने और उसे चोट किस प्रकार कारित हुई, को याद न होने व वादिनी द्वारा गलतफहमी के चलते रिपेर्ट दर्ज किये जाने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त वादिनी ने भी अपने मजीद बयान में

गलतफहमी के कारण प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लिखा दिये जाने का कथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अतएव मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय इस मत की है कि, प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मदनपाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 90/2026, धारा-109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना-मझोला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मुबलिग 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपए) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा तथा आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(ii)– दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेगा।

(iii)– न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

उपरोक्त में से किसी शर्त के उल्लंघन होने पर आवेदक/अभियुक्त को प्रदत्त अग्रिम जमानत पर पुर्नविचार किया जा सकेगा।

स्टेनो-राजीव कुमार।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
06.03.2026